निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)
प्रकरण संख्या 11/2023 (धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)
राज्य सरकार जरिये श्री इन्द्रपाल मीणा प्रर्वतन अधिकारी चौमू, जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रार्थी

बनाम

श्री दिलीप कुमार कानुनगो पुत्र श्री सीताराम कानुनगो जाति कानुनगो, निवासी बडा मन्दिर मोहल्ला, सीताराम जी मन्दिर के सामने, ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमू, जिला जयपुर ग्रामीण।

अप्रार्थी

जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्त शुदा 12 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 168.280 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने बाबत ।

उपस्थित:–

1. विभागीय पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से ।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित ।

निर्णय दिनांक **21.09.2023**

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि घरेलू गैस के अवैद्य भण्डारण की सूचना पर दिनांक 24.07.2023 को समय 5.00 पीएम पर प्रार्थी बहमराह प्रवर्तन स्टॉफ एवं रूबरू मौतबिरान के बडा मन्दिर मोहल्ला, सीतारामजी मन्दिर के सामने, ग्राम हस्तेडा, तहसील चौमू में श्री दिलीप कुमार कानुनगो पुत्र श्री सीताराम कानुनगो के मकान में श्रीमती संतोष पत्नी श्री दिलीप कुमार कानुनगो उपस्थित मिली, जिनकी मौजूदगी में जांच किये जाने पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 12 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये मकान के एक कमरे में रखे हुए पाए गऐ। मौके पर उक्त सिलेण्डर्स को तुलवाया गया तो कुल 168.280 किलोग्राम एलपीजी गैस पाई गई। इस प्रकार अप्रार्थी श्री दिलीप कुमार कानुनगो द्वारा मकान में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैद्य भण्डारण कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त 12 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी 168.280 किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एव जब्त गैस सिलेण्डर की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित के काम आने वाली वस्तु होने से धारा 6–ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर्स की एलपीजी ज्वलनशील, विस्फोटक एवं जनहित की वस्तु होने से धारा 6–ए, (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 03.08.2023 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर का नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण कराया जाकर पालना प्रतिवेदन भिजवायें। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुआ। प्रकरण में दिनेश कुमार शर्मा व अन्य उपभोक्ताओं की ओर से वकील श्री मोहन लाल गुप्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा, उपभोक्ताओं की केश डायरी की फोटो प्रति, बुकिंग रसीद एवं उपभोक्ताओं के शपथ पत्र पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि बडा मन्दिर मोहल्ला, सीतारामजी मन्दिर के सामने, ग्राम हस्तेडा,तहसील चौमू में श्री दिलीप कुमार कानुनगो पुत्र श्री सीताराम कानुनगो के मकान में श्रीमती संतोष पत्नी श्री दिलीप कुमार कानुनगो की मौजूदगी में जांच किये जाने पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 12 घरेलू गैस सिलेण्डर भरे हुये मकान के एक कमरे में रखे हुए पाए गऐ। मौके पर उक्त सिलेण्डर्स को तुलवाया गया तो कुल 168.280 किलोग्राम एलपीजी गैस पाई गई। मौके पर उपस्थित श्रीमती संतोष पत्नी श्री दिलीप कुमार कानुनगो के द्वारा इस बाबत न तो कोई वैद्य दस्तोवज पेश किये गये और न ही अवैद्य भण्डारण के संबंध में कोई संतोषजनक जबाब दिया गया। अप्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। उक्त कृत्य के पीछे अप्रार्थी की अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मनः स्थिति एवं बदनीयति बखूबी सिद्व होती है। अतः उक्त जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी को राजसात (Confiscate) किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि दिनांक 24.07.2023 को ग्राम हस्तेडा तहसील चौमू में उपभोक्ताओं को घरेलू इण्डेन गैस सिलेण्डर सप्लाई करने हेतु कम्पनी की गाडी आई थी। बरसात का मौसम होने के कारण सिलेण्डर से भरी गाडी अन्दर गलियों के रास्ते में नहीं जाने के कारण दिलीप कानुनगो के मकान के बाहर चौक में ही ड्राईवर ने एक ही जगह पर 12 उपभोक्ताओं के सिलेण्डर उतार दिये जिनका विवरण इस प्रकार है–(1) दिनेश शर्मा 7088494060, (2) इन्दर सिंह 7081647232, (3) इन्दु यादव 7218421027, (4) सुन्दरी देवी 7080108318, (5) चंचल 7078971359, (6) संतोष देवी 7078971115, (7) भंवरी देवी 7092121846, (8) मंजू देवी 7218389438, (9) अनिता देवी 7218389494, (10) सावित्री 7077334946, (11) सरिता देवी 7214793679 एवं (12) कृष्णा गोयल 7225029587. उक्त उभोक्ताओं के उक्त सिलेण्डर उतरवाने के पश्चात सिलेण्डर उपभोक्ताओं के द्वारा ले जाने से पूर्व ही प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा सिलेण्डर जब्त कर लिए गये । समस्त उपभोक्ताओं ने स्वयं के उपयोग के लिये बुकिंग करवा कर गैस सिलेण्डर भरवाये थे पुष्टि में रसीदें प्रस्तुत है। जब्त सिलेण्डर किसी भी प्रकार से अवैद्य व्यापार के लिए नहीं रखे थे, अपितु निजी उपयोग के लिए उपभोक्ताओं द्वारा भरवाये गये थे, जिनको प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गलत तरीके से जब्त कर लिया गया है। अप्रार्थी दलीप कानुनगो का इन जब्त सिलेण्डरों से कोई लेना देना नही है। ये उक्तवर्णित उपभोक्ताओं के है, जिन्होंने प्राप्त करने के लिए श्रीमान के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किये है।

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

6. उपभोक्ता (1) दिनेश शर्मा 7088494060, (2) इन्दर सिंह 7081647232, (3) इन्दु यादव 7218421027, (4) सुन्दरी देवी 7080108318, (5) चंचल 7078971359, (6) संतोष देवी 7078971115, (7) भंवरी देवी 7092121846, (8) मंजू देवी 7218389438, (9) अनिता देवी 7218389494, (10) सावित्री 7077334946, (11) सरिता देवी 7214793679 एवं (12) कृष्णा गोयल 7225029587 की ओर से अधिवक्ता ने दलील पेश की कि जब्त गैस सिलेण्डर उक्त उपभोक्ताओं के है जिन्होंने अपने उपभोग के लिए नियमानुसार बुकिंग करवा कर मंगवाये थे । पुष्टि में उपभोक्ताओं की डायरी, रसीदें एवं शपथ पत्र प्रस्तुत है। जब्त गैस सिलेण्डर केवल उपभोक्ताओं के उपयोग के लिए है। गैस कम्पनी की गाडी बारिस के कारण गली में आगे नहीं जाने से एक जगह पर ही सिलेण्डर उतार दिये गये। जिसमें किसी की कालाबाजारी व अवैद्य मुनाफा की बयनियति नहीं है। प्रार्थी दिलीप कानुनगो के विरूद्व गलत तरीके से प्रकरण बना कर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के किसी शर्त या धारा का उल्लंघन नहीं किया गया है। उक्त वर्णित उपभोक्ता जब्त गैस सिलेण्डर प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः जब्त घरेलू गैस सिलेण्डर रिलीज किये जाने के आदेश फरमावें।

7. उभय पक्ष द्वारा की गई बहस को गौर से सुना । पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 24.07.2023 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

8. प्रार्थी ने जब्त किये गये सिलेण्डर्स उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन शुदा होना तथा उपभोक्ताओं द्वारा ही रिफिल कराया जाना बताया है। संबंधित उपभोक्ता भी गैस सिलेण्डर प्राप्त करने के लिए उपस्थित हुये है। उपभोक्ताओं ने अपने तर्को के समर्थन में गैस डायरी, रसीद व शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। सभी उपभोक्ताओं ने अपने शपथ पत्र में बारिश के कारण सिलेण्डर एक जगह पर उतारने का कथन किया है। इसलिए अप्रार्थी दिलीप कानुनगो के मकान पर उक्त सिलेण्डर्स एक जगह उतारे जाने से किसी प्रकार की बदनियति या अवैद्य मुनाफा की आपराधिक मन स्थिति नहीं पाई गई है। संबंधित उपभोक्ता जब्त सिलेण्डर्स प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः जब्त गैस सिलेण्डर्स संबंधित उपभोक्ताओं को रिलीज किया जाना वाजिब समझते है। फलस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में जब्त 12 भरे हुये घरेलू गैस सिलेण्डर संबंधित उपभोक्ताओं को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

9. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो ।

10. निर्णय आज दिनांक **21.09.2023** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner